

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: आदेश :—

श्री महेन्द्र सिंह पोटलिया, तत्कालीन अति.ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, कार्या. बी.ई.ई.ओ., बीकानेर, जो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-प्रा/वि.जांच/ए/5000 (16)/2016 दिनांक 09.09.2016 के द्वारा निलम्बन पर दिनांक 14.09.16 से उपस्थिति इस कार्यालय में दे रहे हैं। श्री पोटलिया के विरुद्ध विभागीय जांच को विचाराधीन रखते हुए आदेश क्रमांक शिविरा-प्रा/वि.जांच/ए/5000 (16)/2016 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा बहाल किया गया है। इस क्रम में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-प्रा/संस्था/ रा.प. /16203/(2)/एबीईईओ पदस्थापन/2014-16 दिनांक 03.11.2016 के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), बीकानेर में अति. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (मूल पद एस.डी.आई.) के पद पर पदस्थापन किये जाने पर इन्हे आज दिनांक 16.11.2016 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-8/एपीओ पदस्थापन/2016

दिनांक : 16-11-16

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक), बीकानेर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक), बीकानेर
4. संबंधित कार्मिक
5. रक्षित प्रत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर